

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPLE BENCH NEW DELHI

O.A. No- 780 of 2024

IN THE MATTER OF:

Paramjit Singh

..Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors

..Respondents

I N D E X

S.NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply filed on behalf of Respondent No-9 alongwith affidavit	1-9
2.	Annexure-1 Letter dated 19.09.2024 issued by Government of Uttarakhand	10
3.	Annexure-2 Letter dated 16.08.2024 issued by District magistrate	11-12
4.	Leter dated 12.08.2024 issued by Forest Department Dehradun	13-14
5.	Photographs	15-16
6.	Government of Uttarakhand notification	17-19
7.	Letter dated 19.08.2023	20
8.	Document relating to stone crusher alongwith photographer	21-29
9.	Letter issued by DM Dehradun alongwith document	30-34

New Delhi

Filed by:-

Dated 20.11.2024



(ANJALI RAJPUT)

Advocate for the Respondent No-9

136, New Lawyers Chambers

M.C. Setalvad Block

Bhagwan Dass Road

Supreme Court of India

New Delhi-110001

Mobile No. 9811777368

Email: advanjali.rajput@gmail.com

BEFORE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
OA NO 780/2024

PARAMJIT SINGH

...Applicant

VERSUS

STATE OF UTTARAKHAND & ORS

...Respondents



REPLY AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO-9, DISTRICT MAGISTRATE, DEHRADUN IN COMPLIANCE OF THE ORDER DATED 24.09.2024 PASSED BY HON'BLE TRIBUNAL.

MOST RESPRCTFULLY SHOWETH:

I Savin Bansal S/O Sri Shashi Bansal, Aged About 40 years presently posted as District Magistrate, Uttarakhand do hereby Solemnly Affirm on oath and state as under:

1. That in my above-mentioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present case and I am fully competent to file present reply by way of affidavit.
2. That vide order dated 24.09.2024 this hon'ble Tribunal was pleased to pass following directions:

- "1. Replies on behalf of respondent no.2- Wildlife Institute of India,respondent no.5-State Environment Impact Assessment Authority(SEIAA) and respondent no.6-Uttarakhand State Pollution Control Board(UKSPCB) have been filed.
- 2. Applicant has filed additional affidavit dated 23.09.2024.
- 3. Learned Counsel for respondent no.4-Principal Chief Conservatorof Forest (HoFF), (PCCF) and respondent no. 9- District Magistrate,Dehradun have submitted that they will file the reply within one week."

PS



That tin compliance of the above the following affidavit is being filed.

3. That the original applicant filed the present application seeking following directions:

In n view of the facts and circumstances mentioned above, this Hon'ble Court may graciously be pleased to:

a. Direct the Respondents to protect the Shivalik Elephant Reserve by disallowing the operations of the stone Crusher Plant of the project proponent at Village Fathepur Tanda, Tehsil Doiwala, Dehradun, State of Uttarakhand.

b. Quash the Consent to Establish issued by Regional Officer, Dehradun, Uttarakhand State Pollution Control Board to M/s Balaji Associates for establishment of Stone Crusher at Khasra No. 273, 240, 241, 268, 269, 279/2, Village Fathepur Tanda, Tehsil Doiwala, District Dehradun as the same has been issued in violation of Office memorandum date 02.12.2009 which asserts the Environmental Clearance and Wildlife Clearance are independent from each other, and it is the duty of the project proponent to obtain both clearances before commencing any activity at the site.

c. Direct the Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Government of INDIA to conduct A STUDY REGARDING IMPACT OF STONE CRUSHERS ON 'ELEPHANT AND IST CORRIDOR' IN DEHRADUN FOREST DIVISION.

d. Pass any other order or direction as this Honorable Court may deem fit and proper

4. That the para no 1 needs no reply.

5. That the para no 2 needs no reply.

M



6. That the averments made in para no 3 are denied. It is submitted that an application dated 16.01.2023 submitted by M/s Balaji Associates through partner Mr. Harkamal Singh on the basis of government order no 1875 dated 11-11-2021 (Stone Crusher Policy-2021) to convert his previous permission for screening plant to stone crusher plant, which was originally granted to him for operating screening plant on his own land bearing Khasra no 237, 238, 240 241/1, 241/2, 268, 269, 279/2, total area of 1.9565 hectares in village Fatehpur Tanda area of Tehsil Doiwala.

That as per point no. 06 of Chapter-1 of the Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulverizer Plant, Hot Mix Plant, Ready-mix Plant Licensing Policy-2021, the District Mining Officer, Dehradun by his letter no. 795 dated 19.01.2023 sent letter to the District Magistrate, Dehradun, to constitute a committee and to provide reports for on-site investigation of the proposed/applied site for converting it into a stone crusher upon application form dated 16.01.2023 submitted by M/s Balaji Associates Partner Mr. Harkamal Singh etc. Address Fatehpur Tanda Doiwala Dehradun for converting the already approved screening plant into stone crusher.

Office of District Collector Dehradun vide letter No. 25/khanan-Anu/2023 dated 16th February, 2023 directed the committee to conduct on-site inspection and provide report as per provisions of point no 6 Chapter 1 of the Stone Crusher Policy -2021 for proposed/applied site for converting pre-approved screening plant into a stone crusher. In continuation of the above mentioned letter dated 16th February, 2023 of the Office of District Magistrate, Dehradun. SDM Doiwala fixed a date of 01-03-2023 for site inspection vide letter no 73/Na.Na.(Janch-Sto.crus.)/2022-23 dated 27th February, 2023 and the joint inspection report dt. 17-08-2023 was sent to the higher authorities.



That the M/s Balaji Associates, had preapproved screening plant in village Fatehpur Tanda Tehsil Doiwala having area of 1.9565 hectare. That Uttarakhand Government Industrial Development Section-1 vide office memorandum number 2880/VII-A- 1/2023-20 (Stone Crusher)/2015 dated December 04, 2023 cancelled permission to renew screening plant and permission to Establish/operation stone crusher having capacity of 100 ton in Khasra number 237, 238, 240, 241/1, 241/2 268, 269, 279/2 in village Fatehpur Tanda Tehsil Doiwala having area of area 1.9565 hect. was granted in favor of M/s Balaji Associates along with permission for mineral storage in the plant premises for a period of 10 years and new partners were also allowed to be replaced in place of the previous partners viz new partners which are: 1. Shri Prakash Singh son of Shri Trilok Singh, 2. Shri Dalip Kumar son of Shri Govardhan Lal, 3. Shri Harkamal son of Shri Balveer Singh, 4. Shri Kuldeep Singh Dhiman s/o Shri Trilok Singh, 5. Shri Sanjeev Kumar Sharma s/o Shri Jaynand Sharma, 6. Shri Mohit Butola s/o Shri R.S. Butola and 7. Shri Dinesh Prasad Semwal s/o Shri Bhagwati Prasad Semwal with the condition that the permission/approval is subject to the decisions pending in case Diary No. 24713/2023 before Hon'ble Supreme Court, New Delhi titled as Uttarakhand State and others vs. Deepak Kumar and others, Public Interest Litigation number 210/2021 pending before Hon'ble High Court, Nainital titled as "Prem Singh Rawat vs. State of Uttarakhand and others", appeal number 39/2022 "Deepak Kumar and others vs. State of Uttarakhand and others" and original application number 702/2022 "Deepak Kumar and others vs. State of Uttarakhand and others pending before National Green Tribunal, Principal bench, New Delhi.

That in accordance to the Government Order dated 04 December 2023, cancelling the permission of approved/working screening plant and allowing establishment of Stone Crusher in accordance with condition no 1, the plant owner in compliance of Doon Valley notification dated 01 February 1989 as amended vide notification dated 06 January 2020 has

RS



obtained EC vide letter no E.C.No-152-09(93)/2023 from State Level Environment Impact Assessment Authority, Uttarakhand dated January 30, 2024. The plant owner also obtained Consent to establish (CTE) and consent to operate (CTO) from Regional office Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board vide letters no. UKPCB/ROD/ NOC/ De.Doon-3730/2023-24/4520-1812 dated January 18, 2024 (Consent to establish) and through letter no UKPCB/OD/ CON/DDN-2168/2024-25/1362-791 dated July 11, 2024 (consent to Operate). That in accordance with condition number 01 and condition number 03 of the Government Order dated December 04, 2023, after the plant owner obtained required environmental permissions i.e. consent to establish and consent to operate the work of establishment/ operation of stone crusher plant and mineral storage in the plant premises is being started.

That Point no 8(1), Chapter 1 of Uttarakhand Stone Crusher Policy 2021, provides that consent to establish and consent to operate are necessarily to be obtained from Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board before the establishment and operation of Stone Crusher. It is pertinent to mention here that joint inspection committee which comprises authorized nominated officer of the forest department alongwith other designated officer has not mentioned any violation of provisins regarding the distance from National Park and Sanctuary in it's report dt. 17-08-2023.

7. That Para no 4 needs no reply. It is submitted that detailed reply has already been given in previous para which may be read as part and parcel of the reply of this Para.
8. That Para no 5 needs no reply. It is submitted that detailed reply has already been given in previous para which may be read as part and parcel of the reply of this Para.
9. That the contents of para no 6 are wrong and denied. It is submitted herein that the permission previously given to M/S Balaji Associates in village Fatehpur Tanda Tehsil Doiwala area



1.9565 hect. for Screening Plant was cancelled and permission for the establishment of Stone crusher. Permission for the establishment of stone crusher in Village Fatehpur Tanda Tehsil Doiwala Khasra no. 237, 238,240,241/1, 241/2, 268, 269, 279/2 total area of 1.9565 hect. having capacity of 100 tons and permission to store minerals for a period of 10 years subject to the conditions mentioned therein was given to Balaji Associates by Uttarakhand Government Industrial Development Section-1 vide office memorandum number 2880/VII-A-1/2023-20 (Stone Crusher)/2015 dated December 04, 2023. That It is mentioned in the condition number 01 of the above mentioned office memorandum dated December 04, 2023, the applied site is located under the Doon Valley area notified by the Doon Valley Notification dated February 1, 1989. That as per Central Pollution Control Board's letter number B-29012/ess (Category wise division of industries as directed by CPA)/2015-16 dated March 07, 2016 Stone crushers have been categorized in orange category (Indicated Pollution index-50). As per the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, notification dated January 06, 2020 resulted in the classification being replaced in the Doon Valley notification, permission is being granted to establish orange category industries, which also include stone crushers, in the Doon Valley after obtaining environmental approval through the State Environmental Impact Assessment Authority constituted at the state level. Therefore, it is mandatory to obtain Environmental Clearance before setting up/operating a stone crusher plant and storing minerals in the plant premises, only after obtaining such permissions the stone crusher plant can be established/operated, and minerals are stored in the plant premises.

In continuation of the above, Environmental Clearance for the operation of stone crusher has been obtained by the plant owner as per the rules from the State Environmental Impact Assessment Authority, Uttarakhand, through letter number E.C.No-152-09(93)/2023 dated January 30, 2024, Uttarakhand Environment Protection and Pollution Control Board. Consent to Establish stone crusher by letter no.

8/6




UKPCB/ROD/NOC/Dedun-3730/2023-24/4520-1812 dated January 18, 2024 and letter no. UKPCB/ROD/CON/DDN 2168/2024- and after obtaining the Consent to Operate the same vide number 25/1362-791 dated July 11, 2024, the work of establishment/operation of the stone crusher plant and storage of minerals in the plant premises is being started.

10. That the contents of Para no. 07 are wrong hence denied. It is submitted herein that the joint committee constituted under the provisions of point no. 6 of chapter 1 of the Uttarakhand Stone Crusher Policy-2021, Uttarakhand Government's Industrial Development Section-1's Office Memorandum No. 1875/VII-A-1/2021-03(101)/2021 dated November 11, 2021 found the proposed stone crusher to be in conformity of the prescribed standards of Uttarakhand Stone Crusher Policy-2021. The joint committee did not mentioned any violation of prescribed norms for the establishment of stone crusher. In line with the report of the joint committee, the permission was granted to M/s Balaji Associates, while cancelling the the permission for screening plant in the total area of land measuring 1.9565 hectares under Village Fatehpur Tanda Tehsil Doiwala area and granting permission of Stone crusher having of 100 tons per capacity in Village Fatehpur Tanda Tehsil Doiwala Khasra No. 237, 238, 240, 241/1, 241/2 268, 269, 279/2, total area measuring 1.9565 hectares vide Government order office memorandum no. 2880/VII-A-1/2023-20 (Stone Crusher)/2015 dated December 04, 2023, in favor of of M/s Balaji Associates along with the approval of permission for mineral storage in the premises for a period of 10 years subject to conditions mentioned in the permission order.
11. That the contents of Para no 8 needs no reply. That the submissions made in aforesaid paras may be read as part and parcel to this para.

8/6



12. That the contents of Para no 9 needs no reply. That the submissions made in aforesaid paras may be read as part and parcel to this para.
13. That the contents of Para no 10 needs no reply. That the submissions made in aforesaid paras may be read as part and parcel to this para.
14. It is Submitted that as per above, only after fulfilling the conditions mentioned in the Uttarakhand Stone Crusher, Screening Plant, Mobile Stone Crusher, Mobile Screening Plant, Pulverizer Plant, Hot Mix Plant, Readymix Plant Licensing Policy-2021, M/s Balaji Associates located in Khasra no 237, 238, 240, 241/1, 241/2 268, 259, 279/2 under area Fatehpur Tanda village of Doiwalain the total area of 1.9565 are storing Minerals on the plant premise.
15. Apart from the above, District Magistrate Dehradun vide his letter no. 16821/Mineral-Anu/2024 dated August 16, 2024, in continuation of the points mentioned in the letter no. 702/21-5 of Divisional Forest Officer, Forest Division Dehradun dated August 12, 2024, informed the Director, Geology and Mining Directorate, Uttarakhand, Bhopalpani, Dehradun for taking necessary action as the plant owner has not obtained permission from NBWL/SCNBWL. At present the matter is under consideration/subjudice at the State level in the department of Industrial Development and Mining. No directions have been received till date in this regard.
16. That in compliance of the order dated 24.09.2024 passed by this Hon'ble tribunal, the present affidavit is being filed by



District Magistrate, Dehradun for kind perusal of this Hon'ble tribunal.

[Signature]
Deponent

Verification

I deponent above named do hereby verify and say that the contents of the above reply by way of affidavit are true and correct to my knowledge based on record, no part of it is false and nothing material has been concealed thereof,. That legal Submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.

Verified by me on *Dehradun* at *3.00* on this *19* day of *11* 2024 at Dehradun.

[Signature]
Deponent

Identified by
[Signature]

[RAJEEV ACHARYA]
Adv.
D. G. C. (CIVIL) D. Dehra

affidavit is sworn before me by
Savitri Bhoosal
in the presence of *Rajeev Acharya Adv.*
Dehradun on *19/11/2024*




KM. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुगाग-1
संख्या: 16/8/VII-A-1/2024/20-स्टोन केशर/2015
देहरादून, दिनांक: 19 सितम्बर, 2024

मैसर्स बालाजी स्टोन केशर,
ग्राम फतेहपुर टाण्डा,
तहसील डोईवाला, जनपद देहरादून।

जिलाधिकारी देहरादून के पत्र दिनांक 16.08.2024 एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के पत्र दिनांक 13.09.2024 द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में मैसर्स बालाजी एसोसिएट्स के पक्ष में ग्राम फतेहपुर टाण्डा, तहसील डोईवाला क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या-237, 238, 240, 241/1, 241/2, 268, 269, 279/2 कुल रकबा 1.9565 है० नाप भूमि में कार्यालय झाप संख्या-2880/VII-A-1/2023-20 (स्टोन केशर)/2015, दिनांक 04 दिसम्बर, 2023 द्वारा 100 टन प्रति घंटा क्षमता के स्टोन केशर प्लांट की स्थापना/संचालन व प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की स्वीकृत अनुज्ञा का संचालन NBWL/SCNBWL की अनुमति प्राप्त किये बिना किये जाने से राज्य सरकार की शर्तों का उल्लंघन होने के दृष्टिगत प्रकरण में अंतिम निर्णय लिये जाने के पूर्व आपको अपना पक्ष रखे जाने हेतु अपर सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में उनके सचिवालय स्थित कार्यालय कक्ष में दिनांक 27.09.2024 मध्याह्न 01:00 बजे का समय निर्धारित किया गया है।


अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त सुनवाई में प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों सहित अनिवार्य रूप से यथास्थान/यथासमय प्रतिभाग करने का कष्ट करें। यदि उक्त सुनवाई में आप उपस्थित नहीं होते हैं तो यह समझा जायेगा कि आपको कुछ नहीं कहना है, ऐसी स्थिति में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर आवश्यक आदेश पारित कर दिये जायेंगे।


(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

संख्या: (1)/VII-A-1/2024/20-स्टोन केशर/2015, तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-अपर सचिव औद्योगिक विकास (खनन) विभाग उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त तिथि एवं समय पर निर्धारित सुनवाई में प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों सहित प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
3. निदेशक, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की कृपया बैठक में किसी भिन्न अधिकारी को प्रतिभाग किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. जिलाधिकारी, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त तिथि एवं समय पर निर्धारित सुनवाई में स्वयं/अपने प्रतिनिधि को प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की कृपया बैठक में किसी भिन्न अधिकारी को प्रतिभाग किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
6. जिला खान अधिकारी, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त तिथि एवं समय पर निर्धारित सुनवाई में प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।


(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

प्रेषक,

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक 1682 / खनिज-अनु0 / 2024

दिनांक 16 अगस्त, 2024

विषय श्री बालाजी स्टोन केशर ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला द्वारा
नियमों का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून के पत्र संख्या-702/21-5 दिनांक 12 अगस्त, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्री बालाजी स्टोन केशर ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला द्वारा नियमों का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की गयी है, जिसमें निम्नवत उल्लेख किया गया है:-

- 1- श्री बालाजी स्टोन केशर ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला में स्थापित है। श्री बालाजी स्टोन केशर के सह-स्वामी श्री कुलदीप सिंह की उपस्थिति में उप प्रभागीय वनाधिकारी ऋषिकेश के द्वारा दिनांक 10.08.2024 को स्टोन केशर प्लांट की G.P.S Coordinated लिये गये। (संलग्नक-01)
- 2- स्टोन केशर G.P.S Coordinated से गूगल मैप्स पर दूरी मापने पर प्लांट की राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से दूरी लगभग 3.5 कि०मी० दर्शायी गयी है (संलग्नक-02), जिसकी पुष्टि निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व के द्वारा भी अपने पत्र संख्या-445/22-1(5) दिनांक 18.04.2024 की बिन्दु संख्या (4) में की गयी है। (संलग्नक-03)
- 3- NBWL/SCNBWL से अनुमति के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर श्री बालाजी स्टोन केशर के सह-स्वामी श्री कुलदीप सिंह ने अनुमति प्राप्त न होना स्वीकार किया। साथ ही उनके द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय के कतिपय निर्णयों के अधीन अनुमति की आवश्यकता न होने हेतु कहा गया किन्तु वक्तव्य के समर्थन में कोई भी पुष्ट प्रमाण नहीं दिया गया।

निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिजर्व के पत्र संख्या 143/12-1 दिनांक 11.07.2024 (संलग्नक-04) के अनुसार राजाजी टाइगर रिजर्व का ईको सेंसिटिव जोन अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है तथा MOEFCC, GOI के Memorandum FC-11/119/2020-FC दिनांक 17 मई, 2022 द्वारा स्पष्ट किया गया है, जिन क्षेत्रों का FSZ का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है तथा EIA Notification 2006 से आच्छादित एवं राष्ट्रीय पार्क/सेन्चुरी से 10 किमी० से कम दूरी पर अवस्थित है, ऐसे क्षेत्रों में Project/Activity की स्थापना से पूर्व NBWL/SCNBWL की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। उक्त के अतिरिक्त मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका संख्या 202/1995 से सम्बन्धित I.A 1000/2003 में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2022 के बिन्दु संख्या 44 (एच) का उद्धरण निम्न प्रकार है:- "In respect of sanctuaries or national parks for which the proposal of a State or Union Territory has not been given, the 10 kilometres buffer zone as ESZ, as indicated in the order passed by this Court on 4th December 2006 in the case of Goa Foundation (supra) and also contained

in the Guidelines of 9th February 2011 shall be implemented. Within that area, the entire set of restrictions concerning as ESZ shall operate till a final decision in that regard is arrived at"

- 5- उपरोक्त दिशा निर्देश के आलोक में NBWL/SCNBWL से अनुमति प्राप्त किये बिना, श्री बालाजी स्टोन केशर, ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला को संचालित करना नियम विरुद्ध प्रतीत होता है। उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 संख्या-1924/VV-A-1/2024/03(101)/2021 देहरादून दिनांक 11 नवम्बर, 2021 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के बिन्दु संख्या 13 (संलग्नक-05) के अनुसार "जिलाधिकारी एवं महानिदेशक की संस्तुति पर स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं उप खनिज भण्डारण की अनुज्ञा 10 वर्ष की अवधि हेतु शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी"। उक्त क्रम में श्री बालाजी स्टोन केशर, ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला के विरुद्ध आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही अपने स्तर से करने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

अतः उपरोक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून के पत्र संख्या-702/21-5 दिनांक 12 अगस्त, 2024 के द्वारा श्री बालाजी स्टोन केशर, ग्राम फतेहपुर टाण्डा तहसील डोईवाला के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 में मूल आवेदन संख्या 780/2024 (IA No. 294/2024) में विचाराधीन है। अतः उक्त का संज्ञान लेते हुये प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीया,



(सोनिका)
जिलाधिकारी,
देहरादून।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग।


पत्रांक- 702 / 21-5, देहरादून, दिनांक- 12 अगस्त, 2024

सेवा में,



जिलाधिकारी
देहरादून।

श्री बालाजी स्टोन क्रेशर ग्राम फतेहपुर टाण्डा, तहसील- डोईवाला, जिला- देहरादून, उत्तरांचल प्रदेश में नियमों का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में।



आपका पत्रांक-1491/खनिज-अनु0/2024, दिनांक 07.05.2024 एवं पत्रांक संख्या 1492/खनिज-अनु0/2024, दिनांक 07.05.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों से प्राप्त विषयांकित प्रकरण में की गई शिकायत में वन विभाग से सम्बन्धित बिन्दु संख्या 02 के क्रम में उप प्रभागीय वनाधिकारी ऋषिकेश के द्वारा जांच कर अपने पत्रांक संख्या 277/21-8 दिनांक 12.08.2024 से जांच आख्या प्रेषित की गई है, जिसके अनुसार आख्या निम्न प्रकार प्रेषित है-

1. श्री बालाजी स्टोन क्रेशर, ग्राम फतेहपुर टाण्डा, तहसील- डोईवाला में स्थापित है श्री बालाजी स्टोन क्रेशर के सह-स्वामी श्री कुलदीप सिंह की उपस्थिति में उप प्रभागीय वनाधिकारी ऋषिकेश के द्वारा दिनांक 10.08.2024 को स्टोन क्रेशर प्लांट की G.P.S Coordinates लिये गये (संलग्नक-1)
2. स्टोन क्रेशर प्लांट के G.P.S Coordinates से गूगल मैप्स पर दूरी मापने पर प्लांट की राजाजी टाइगर रिजर्व की सीमा से दूरी लगभग 3.5 कि०मी० दर्शायी गयी है (संलग्नक-2)। जिसकी पुष्टि निदेशक, राजाजी टाइगर रिजर्व के द्वारा भी अपने पत्र सं० 445/22-1(5), दिनांक 18.04.2024 की बिन्दु संख्या (4) में की गई है। (संलग्नक-3)
3. NBWL/SCNBWL से अनुमति के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर श्री बालाजी स्टोन क्रेशर के सह-स्वामी श्री कुलदीप सिंह ने अनुमति प्राप्त न होना स्वीकार किया। साथ ही उनके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कतिपय निर्णयों के अधीन अनुमति की आवश्यकता न होने हेतु कहा गया किन्तु अपने वक्तव्य के समर्थन में कोई भी पुष्ट प्रमाण नहीं दिया।
4. निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाइगर रिजर्व के पत्र संख्या 143/12-1 दिनांक 11.07.2024 (संलग्नक-4) के अनुसार राजाजी टाइगर रिजर्व का ईको सेन्सिटिव जोन अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है तथा MoEFCC, GOI के Office Memorandum FC-11/119/2020-FC दिनांक 17, मई, 2022 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि जिन क्षेत्रों का ESZ का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है तथा EIA Notification 2006 से आच्छादित एवं राष्ट्रीय पार्क/सेन्चुरी से 10 कि०मी० से कम दूरी पर अवस्थित है, ऐसे क्षेत्रों में Project/Activity की स्थापना से पूर्व NBWL/SCNBWL से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। उक्त के अतिरिक्त मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका सं० 202/1995 से सम्बन्धित I.A 1000/2003 में पारित निर्णय दिनांक 03.06.2022 के बिन्दु सं० 44 (एच) का

उद्धरण निम्न प्रकार है- " In respect of sanctuaries or national parks for which the proposal of a State or Union Territory has not been given, the 10 kilometres buffer zone as ESZ , as indicated in the order passed by this Court on 4th December 2006 in the case of Goa Foundation (supra) and also contained in the Guidelines of 9th February 2011 shall be implemented. Within that area, the entire set of restrictions concerning as ESZ shall operate till a final decision in that regard is arrived at"

5. उपरोक्त दिशा निर्देश के आलोक में NBWL/SCNBWL से अनुमति प्राप्त किये बिना, श्री बालाजी स्टोन क्रेशर, ग्राम फतेहपुर टाण्डा, तहसील- डोईवाला को संचालित करना नियम विरुद्ध प्रतीत होता है। उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 संख्या-1924/VII-A-1/2024/03(101)2021 देहरादून: दिनांक 11 नवम्बर, 2021 से प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के बिन्दु संख्या 13 (संलग्नक-5) के अनुसार

" जिलाधिकारी एवं महा निदेशक की संस्तुति पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं उप खनिज भण्डारण की अनुज्ञा 10 वर्ष की अवधि हेतु शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी"।

अतः उक्त क्रम में श्री बालाजी स्टोन क्रेशर, ग्राम फतेहपुर टाण्डा, तहसील- डोईवाला के विरुद्ध आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही अपने स्तर से करने की कृपा करें। प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 में मूल आवेदन संख्या 780/2024 (IA No. 294/2024) में विचाराधीन है जिसमें दिनांक 22.08.2024 को सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित है। अतः अनुरोध है कि उक्त का संज्ञान लेते हुये आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(नीरज कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक:- 702 / 21-5 तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक, पर्यावरण, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. मुख्य वन संरक्षक (गढवाल), उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।




प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।



Latitude: 30.145962
Longitude: 78.134351
Elevation: 475.88±5 m
Accuracy: 8.6 m
Time: 10-08-2024 13:14
Note: अणु-1



Latitude: 30°8'45"
Longitude: 78°8'5"
Elevation: 475.88±11 m
Accuracy: 13.9 m
Time: 10-08-2024 13:49

778
13/12/23

177

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1

संख्या: 2880 / VII-A-1 / 2023-20 (स्टोन केशर) / 2015

देहरादून, दिनांक: 04 दिसम्बर, 2023

कार्यालय ज्ञाप

दिनांक: 13/12/23

जिलाधिकारी
देहरादून

उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं० 4201/खनन/भूखनि०नि०/स्टो०के०प्ला०/दे०दून/2023-24, दिनांक 08.10.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मैसर्स बालाजी एसोसिएट्स के पक्ष में ग्राम फतेहपुर टाण्डा, तहसील डोईवाला क्षेत्रान्तर्गत कुल रकबा 1.9565 है० नाप भूमि में नवीनीकृत स्क्रीनिंग प्लांट की अनुमति को निरस्त करते हुए ग्राम फतेहपुर टाण्डा, तहसील डोईवाला क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 237, 238, 240, 241/1, 241/2, 268, 269, 279/2 कुल रकबा 1.9565 है० नाप भूमि में मैसर्स बालाजी एसोसिएट्स के नाम से 100 टन प्रति क्षमता के स्टोन केशर प्लांट की स्थापना/संचालन व प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति 10 वर्ष की अवधि हेतु प्रदान किये जाने तथा उक्त प्लांट में पूर्व के भागीदारों के स्थान पर नवीन भागीदार यथा 1. श्री प्रकाश सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह, 2. श्री दलीप कुमार पुत्र श्री गोवर्धन लाल, 3. श्री हरकमल पुत्र श्री बलवीर सिंह, 4. श्री कुलदीप सिंह धीमान पुत्र श्री त्रिलोक सिंह, 5. श्री संजीव कुमार शर्मा पुत्र श्री जयनन्द शर्मा, 6. श्री मोहित बुटौला पुत्र श्री आर०एस० बुटौला व 7. श्री दिनेश प्रसाद सेमवाल पुत्र श्री भगवती प्रसाद सेमवाल का नाम माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित डायरी संख्या 24713/2023 उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम दीपक कुमार व अन्य, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित जनहित याचिका सं० 210/2021 "प्रेम सिंह रावत बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य", मा० एन०जी०टी० में योजित में अपील संख्या 39/2022 "दीपक कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" एवं मूल आवेदन संख्या 702/2022 "दीपक कुमार व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य" में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1. आवेदित स्थल दून वैली नोटिफिकेशन दिनांक 01 फरवरी 1989 द्वारा अधिसूचित दूनी वैली क्षेत्रान्तर्गत स्थित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या B-29012/ESS (CPA)/2015-16 दिनांक 07 मार्च 2016 द्वारा निर्देशित उद्योगों को श्रेणीवार विभाजन में स्टोन केशरों को नारंगी श्रेणी में (pollution index-50 अंकित होने के कारण) अंकित किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 06 जनवरी 2020 द्वारा लाल, नारंगी, हरित तथा सफेद श्रेणी के उद्योगों के वर्गीकरण को दून घाटी अधिसूचना में प्रतिस्थापित कर दिये जाने के फलस्वरूप दून घाटी में राज्य स्तर पर गठित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने पर नारंगी श्रेणी के उद्योगों, जिसमें स्टोन केशर भी सम्मिलित हैं, की स्थापना की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रावधान है। अतः प्रश्नगत क्षेत्र में स्टोन केशर प्लांट की स्थापना/संचालन व प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण किये जाने से पूर्व अनिवार्यतः पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा, उसी के उपरांत ही स्टोन केशर प्लांट की स्थापना/संचालन व प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
2. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडी मिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 14 "स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्तों" में उल्लिखित समस्त शर्तों (बिन्दु संख्या 1 से 09 तक) का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
3. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडी मिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-1 के

47

- बिन्दु संख्या 8 (1) के अनुसार स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट की अनुज्ञा के उपरान्त उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा। स्टोन क्रेशर प्लांट की स्थापना/संचालन से पूर्व पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
4. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडी मिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 8 (2) के अनुसार पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0-55 दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम, 1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा0 न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
 5. प्लांट स्वामी द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडी मिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 11 (1) के अनुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता का निर्धारण किया जाना होगा।
 6. प्लांट स्वामी द्वारा अवशेष शुल्क रू0 20.00 लाख (बीस लाख मात्र) प्लांट स्वीकृति के उपरान्त ई-रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना आवश्यक होगा।
 7. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 38 के अनुसार स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट को प्रोसेसिंग यूनिट मानते हुए उत्पादित उपखनिज एक श्रेणी में होने के कारण प्लांट संचालक को उत्पादित/ विक्रय की गयी मात्रा पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक- 0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
 8. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 39 (1) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण-दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।
 9. प्लांट स्वामी द्वारा स्टोन क्रेशर नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 39 (2) के अनुसार यदि स्टोन क्रेशर प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है, तो जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति-युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।
 10. स्टोन क्रेशर नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 39 (3) के अनुसार स्थापित एवं संचालित स्टोन क्रेशर प्लांट का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
 11. प्लांट स्वामी द्वारा वर्तमान में प्रचलित स्टोन क्रेशर नीति 2021 के प्रावधानानुसार प्लांट की क्रशिंग क्षमता के सापेक्ष अवशेष कच्चे माल की आपूर्ति तथा अवशेष अवधि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र जिलाधिकारी कार्यालय, जिला खान अधिकारी कार्यालय, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, देहरादून में प्रस्तुत किया जाना होगा।
 12. प्लांट स्वामी द्वारा शासन से स्टोन क्रेशर की अनुज्ञा स्वीकृत होने के पश्चात् एक माह के भीतर भूमि को बन्धक मुक्त कराया जाना होगा अन्यथा की दशा में प्लांट स्वामी का ई-रवन्ना पोर्टल नहीं खोला जायेगा।




13. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पत्वारिज्जर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 09 के अनुसार प्लांट में भण्डारण की मात्रा का निर्धारण किया जायेगा।
14. प्लांट स्वामी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

संख्या: 2880(1)/VII-A-1/2023-20(स्टोन क्रेशर)/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्तांकित पत्र के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
4. मैसर्स बालाजी एसोसिएट्स।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

कार्यालय उप जिलाधिकारी डोईवाला, देहरादून।

473

139

संख्या-543/एस0टी0/2023

दिनांक-19 अगस्त,2023

सेवा में,

जिलाधिकारी
देहरादून।

विषय- मैसर्स बालाजी एसोसिएट्स पार्टनर श्री हरकमल सिंह, श्री दलीप कुमार, श्री प्रकाश सिंह, श्री कुलदीप सिंह, श्री धीरज सिंह निवासी-फतेहपुर टाण्डा के खसरा नं0 237, 238, 240, 241/1, 241/2, 268, 269, 279/2 कुल क्षेत्रफल 1.9565है0 भूमि में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, रेडिमक्स प्लांट, अनुज्ञा नीति-2021 के अन्तर्गत 100 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन क्रेशर एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण क्षमता कुल 10,80,000टन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-25/खनिज-अनु0/2023 दिनांक-16.02.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मैसर्स बालाजी एसोसिएट्स पार्टनर श्री हरकमल सिंह, श्री दलीप कुमार, श्री प्रकाश सिंह, श्री कुलदीप सिंह, श्री धीरज सिंह निवासी-फतेहपुर टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत खसरा नं0 237, 238, 240, 241/1, 241/2, 268, 269, 279/2 कुल क्षेत्रफल 1.9565है0 भूमि में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, रेडिमक्स प्लांट, अनुज्ञा नीति-2021 के अन्तर्गत 100 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन क्रेशर एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण क्षमता कुल 10,80,000टन हेतु समिति स्थलीय निरीक्षण कर संयुक्त जांच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने के लिए निर्देशित किया गया है।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र सं0-73/ना0ना0/जांच-स्टो0 क्रेशर/2022-23 दिनांक-27.02.2023 एवं पत्र सं0-513/एस0टी0/2023 दिनांक 05.08.2023 द्वारा तहसीलदार डोईवाला, जिला खान अधिकारी देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून के प्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून के प्रतिनिधि को संयुक्त निरीक्षण किये जाने के लिए पत्र प्रेषित किया गया।

अतः तहसीलदार डोईवाला, जिला खान अधिकारी देहरादून, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून के प्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून के प्रतिनिधि की संयुक्त निरीक्षण आख्या मय फोटोग्राफ सहित मूल में संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्नक: मूल में।

भवदीय,
19/8/23
उपजिलाधिकारी
डोईवाला।

स्टोन क्रेशर की स्थापना एवं प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण अनुज्ञा सम्बन्धी संयुक्त निरीक्षण

138 30

आख्या (अनुसूची-2)

1. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नाम :- मैसर्स बालाजी एसोसिएट्स।
2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी का नाम व पता (निजी व्यक्ति/फार्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम) : श्री हरकमल सिंह, श्री दलीप कुमार, श्री प्रकाश सिंह, श्री कुलदीप सिंह एवं श्री मोहित बुटोला आदि निवासी फतेहपुर टाण्डा, डोईवाला देहरादून।
3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्थल का विवरण :-कार्यालय उपजिलाधिकारी डोईवाला के पत्र संख्या 73/ना0ना10 (जॉच)-स्टो0क्रेशर)/2022-23 दिनांक 27 फरवरी, 2023 के क्रम में स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु आवेदित स्थल का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 01.03.2023 एवं कार्यालय उपजिलाधिकारी डोईवाला के पत्र सं0 513/एस0टी0/2023 दिनांक 05 अगस्त, 2023 के क्रम में पुनः दिनांक 17.08.2023 को किया गया जिसका विवरण निम्नवत है :-

क्र0सं0	ग्राम	तहसील	जनपद	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे0में)
01	फतेहपुर टाण्डा	डोईवाला	देहरादून	237, 238, 240, 241/1, 241/2, 268, 269, 279/2	कुल क्षेत्रफल 1.9565 हे0

4. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/प्रति घण्टा) :-100 टन/प्रतिघण्टा। (आवेदन पत्र के अनुसार)
5. आवेदन शुल्क का विवरण :-

क्र0सं0	चालान संख्या (ई-चालान)	धनराशि (रु0 में)	दिनांक
01	08531222E0005157	10000.00	03.12.2022

6. आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी :- मैसर्स बालाजी एसोसिएट्स में पांच पार्टनर हैं:-
 1. श्री दलीप कुमार को उपजिलाधिकारी डोईवाला देहरादून के आवेदन पत्र संख्या UK22ES0300101377 दिनांक 30.10.2022 के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
 2. श्री हरकमल सिंह को उपजिलाधिकारी डोईवाला देहरादून के आवेदन पत्र संख्या UK22ES0300101550 दिनांक 30.10.2022 के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
 3. श्री प्रकाश सिंह धीमान को उपजिलाधिकारी डोईवाला देहरादून के आवेदन पत्र संख्या UK22ES0300101401 दिनांक 30.10.2022 के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
 4. श्री कुलदीप सिंह धीमान को उपजिलाधिकारी डोईवाला देहरादून के आवेदन पत्र संख्या UK22ES0300101253 दिनांक 30.10.2022 के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
 5. श्री मोहित बुटोला को उपजिलाधिकारी देहरादून के आवेदन पत्र संख्या UK22ES0300034935 दिनांक 17.08.2022 के द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
7. आवेदक के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी :- मैसर्स बालाजी एसोसिएट्स में चार पार्टनर हैं:-
 1. श्री दलीप कुमार को उपजिलाधिकारी ऋषिकेश देहरादून के आवेदन पत्र संख्या 574 दिनांक 10.05.2002 के द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
 2. श्री हरकमल सिंह को जिला मजिस्ट्रेट देहरादून के आवेदन पत्र संख्या 1606 दिनांक 07.04.1997 के द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
 3. श्री प्रकाश सिंह धीमान को उपजिलाधिकारी ऋषिकेश देहरादून के आवेदन पत्र संख्या 2886 दिनांक 24.02.1999 के द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
 4. श्री कुलदीप सिंह धीमान को उपजिलाधिकारी डोईवाला देहरादून के आवेदन पत्र संख्या UK10DOM0700/160005385 दिनांक 18.07.2016 के द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
 5. श्री मोहित बुटोला को उपजिलाधिकारी देहरादून के आवेदन पत्र संख्या UK22ES0100212116 दिनांक 19.07.2022 के द्वारा स्थायी प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- आवेदक के द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशन का दिनांक :- आवेदक द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र "राष्ट्रीय सहारा" में दिनांक 18.01.2023 को विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है।
8. आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध में प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त प्राप्त आपत्ति का विवरण एवं निस्तारण सम्बन्धी आख्या :- पूर्व स्वीकृत/संचालित स्क्रीनिंग प्लान्ट, जिस आवेदक स्टोन क्रेशर में परिवर्तित करना चाहता है हेतु किये जाने के उपरान्त तथा निरीक्षण दिनांक तक सम्बन्धित कार्यालयों में किसी भी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।
9. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण दिनांक :- दिनांक 03.03.2022।
10. प्रस्तावित संयंत्र से प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार प्लांट के डक स्थल से नीति में निर्धारित दूरी के सापेक्ष मौका/निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी :-

क्र० सं०	स्थान	नीति में निर्धारित दूरी के मानक	मौक निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी	अभ्युक्ति
01	सरकारी वन	100 मीटर	550 मीटर से अधिक	स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण राजस्व विभाग, वन विभाग तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया तथा मौके पर उपलब्ध राजस्व तथा वन विभाग के अभिलेखानुसार दूरी अंकित की गयी है।
02	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से	लागू नहीं	लागू नहीं	
	(ख) नदी (Perennial river) के किनारे से	500 मीटर	500 मीटर से अधिक दूरी पर, जिस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता सिचाई खण्ड देहरादून के पत्रांक सं० 1127/अ०३०/सि०ख०दे०/ए-2 दिनांक 28.04.2023 जो बालाजी एसोसिएट्स को सम्बोधित है, में उल्लिखित है कि तहसील डाईवाला के फतेहपुर टाण्डा में सौग नदी के किनारे से प्लान्ट के डक की दूरी 500 मी० से अधिक है। सौग नदी में मानसून अवधि में अत्यधिक जल प्रवाह होता है तथा मानसून अवधि के पश्चात नदी में उक्त स्थान पर पानी का प्रवाह नहीं होता है। अतः उक्त स्थल पर Non Perennial प्रतीत होती है। (पत्र की प्रति संलग्न)	
03	(ख) Non Perennial river (वर्षाती नदी, नाला, गदेरा) के किनारे से	50 मीटर	50 मीटर से अधिक की दूरी पर।	
03	सार्वजनिक धार्मिक स्थल (मन्दिर, मजिस्द, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	600 मीटर से अधिक।	
04	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	380 मीटर से अधिक।	
05	आबादी से दूरी	300 मीटर	300 मीटर से अधिक।	

(क) प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखानुसार विवरण :-

क्र० सं०	तहसील	खाता संख्या	खसरा संख्या	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (हे० मे)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी
01	02	03	04	05	06	07	08
01	फतेहपुर टाण्डा	डोड़वाला	269	खसरा 237 रकबा 0.1520 है०, खसरा सं० 238 रकबा 0.1020 है०, खसरा सं० 241/1 रकबा 0.028 है०	श्रेणी-क संक्रमणीय भूमि	श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह, जसविन्दर कौर पत्नी श्री बलविन्दर सिंह का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर राजस्व अभिलेखों में अंकित है।	0.2820 है०
02			364	खसरा 279/2 रकबा 0.6960 है०		श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह निवासी का ग्राम अभिलेखों में अंकित है।	0.6960 है०
			268	खसरा नं 268मि/ रकबा 1.2260 है०		श्री नरविन्दर सिंह पुत्र श्री गुरमीत सिंह, बलवीर सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, श्री हरकमल सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह, बलवीर सिंह, श्री निर्मल कौर पत्नी श्री बलवीर सिंह निवासीगण ग्राम का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित है।	1.2260 है०
04			158	खसरा नं 269 रकबा 0.4410 है०		श्री गुरमीत सिंह, बलवीर सिंह पुत्रगण श्री रणजीत सिंह का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर में अंकित है।	0.4410 है०
05			155	खसरा सं० 240 रकबा 0.1560, खसरा संख्या 241/2/रकबा 0.0054, खसरा संख्या 352 रकबा 1.4539, खसरा संख्या 357 रकबा 0.1184 खसरा संख्या 358 रकबा 0.0300 कुल 1.7637 है०। खसरा सं० 240 रकबा 0.1040 खसरा संख्या 241/2 रकबा 0.0026 कुल 0.1066 है०		श्री गुरमीत सिंह पुत्र रणजीत सिंह, जसविन्दर कौर पत्नी श्री बलविन्दर सिंह सिंह, नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री अर्जुन सिंह, श्री हरकमल सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित है। श्री जयदीप दत्त पुत्र ओडी दत्त, सुनील पाल अग्रवाल पुत्र धर्मपाल अग्रवाल, पंकज अग्रवाल पुत्र श्री श्याम कृष्ण लाल का नाम बतौर सहखातेदार (क्रेता) अंकित है।	1.7637 है०। 0.1066 है०

नोट:- मै० बालाजी एसोसिएट्स द्वारा पार्टनर भूमि खसरा नं० 237 रकबा 0.1070 है०, खसरा सं० 238 रकबा 0.0395 है०, खसरा सं० 240 रकबा 0.2600 है०, 241/1 रकबा 0.0140 है०, खसरा सं० 241/2 रकबा 0.0065 है०, खसरा सं० 268 रकबा 0.6130, खसरा सं० 269 रकबा 0.2205 एवं खसरा सं० 279/2 रकबा 0.6960 है० कुल रकबा 1.9565 है० भूमि पर पूर्व से स्वीकृत स्कीनिंग प्लान्ट को स्टोन क्रेशर अपग्रेड किये जाने

हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त राजस्व अभिलेखों में भूमि खसरा संख्या 242 रकबा 0.1620 श्रेणी 6(1) जलमग्न भूमि के रूप में नदी के नाम से राजस्व अभिलेखों में अंकित है जो भूमि खसरा नं० 241 के साथ लगती है खसरा नं० 242 में वर्तमान में पानी नहीं बह रहा है। राजस्व अभिलेखों में भूमि खसरा संख्या 239/0.0810 श्रेणी 5(3)इ अन्य बंजर उत्तर-प्रदेश सरकार के नाम है जो खसरा नं० 241 व 240 के साथ लगता हुआ है तथा वर्तमान में रिक्त है, परिसर में सजरे की गूल है व संहत खण्ड में नहीं है, के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड देहरादून के पत्र सं० 1016/अ०अ०/सि०ख०दे०/ए-2 दिनांक 17.04.2023 में उल्लिखित है कि गूल सिंचाई विभाग के अधीन नहीं है। गूल का स्वामित्व एवं संचालन "जल योजना कमेटी खाण्डेवाली नहर समिति" के द्वारा किया जाता है जिस पर समिति के स्तर से ही कार्यवाही की जानी है। उक्त के सम्बन्ध में अध्यक्ष प्रबन्धक कमेटी खाण्डेवाली नहर के पत्र दिनांक 07.06.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम फतेहपुर टाण्डा के खसरा नं० 268 व 279 में वर्तमान में श्री बालाजी एसोसियेट्स में भण्डारण/स्क्रीनिंग प्लांट का कार्य खनिज सम्बन्धित कार्य किया जा है, इस खसरा नम्बरान के बीच में सिंचाई नहर गुजरती है। सम्बन्धित नहर के मुखिया श्री जगीर सिंह एवं सम्बन्धित कृषकगण द्वारा अवगत कराया गया है कि मै० बालाजी एसोसियेट्स द्वारा कभी भी पानी की नहर में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया गया है तथा भविष्य में भी इसी प्रकार का आश्वासन दिया गया है। अतः मै० बालाजी एसोसियेट्स के कार्य से किसी भी कृषक को आपत्ति नहीं है।

(ख) :- आवेदक अथवा उसके भागीदारों के भूस्वामी न होने पर सम्बन्धित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का नोट्राईज्ड शपथ पत्र :- आवेदक फर्म द्वारा सम्बन्धित भूस्वामी श्री जयदीप दत्त पुत्र श्री ओ०डी० दत्त निवासी 23/16 डालनवाला देहरादून, श्री सुनीत पाल अग्रवाल पुत्र श्री धर्मपाल अग्रवाल निवासी 3/3 रेसकोर्स देहरादून, श्री पंकज अग्रवाल पुत्र श्री श्याम कृष्ण लाल निवासी एजेआईटी० प्रसाद डीईएचआरएडीयूएन देहरादून के साथ रू० 100 के स्टाम्प पेपर सं० IN-UK26962389089537U दिनांक 28.12.2022, भू-स्वामी श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री अर्जुन सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट फतेहपुर टाण्डा डोईवाला देहरादून के साथ रू० 100 के स्टाम्प पेपर संख्या IN-UK771998798250365S दिनांक 21.07.2020, भू-स्वामी श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री अर्जुन सिंह, श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री नरेन्द्र सिंह निवासीगण ग्राम फतेहपुर टाण्डा डोईवाला देहरादून के साथ रू० 100 के स्टाम्प पेपर पर, श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, श्रीमती निर्मल कौर पत्नी श्री बलबीर सिंह, श्री हरकमल सिंह पुत्र श्री बलबीर सिंह निवासीगण ग्राम व पोस्ट फतेहपुर टाण्डा के साथ रू० 100 का स्टाम्प पेपर सं० IN-UK46276927299593T दिनांक 28.09.2021 एवं भू-स्वामी श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री अर्जुन सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट फतेहपुर टाण्डा डोईवाला देहरादून के साथ रू० 100 के स्टाम्प पेपर सं० IN-UK27862183925056U दिनांक 31.12.2022 पर किरायानामा नोट्राईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(ग) :- आवेदित भूमि के बन्धक मुक्त होने के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र/नोट्राईज्ड शपथ पत्र :- आवेदक फर्म के भू-स्वामी श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह निवासी फतेहपुर टाण्डा डोईवाला द्वारा प्रस्तुत नोट्राईज्ड शपथ पत्र संख्या IN-UK21904623547901U दिनांक 02.12.2022 के अनुसार भूमि खसरा संख्या 240, 241/2, 279/2, 268, 269 मौजा फतेहपुर टाण्डा पर ऋण लिया गया है एवं भू-स्वामिनी श्रीमती निर्मल कौर पत्नी श्री बलवीर सिंह निवासी फतेहपुर टाण्डा डोईवाला द्वारा प्रस्तुत नोट्राईज्ड शपथ पत्र संख्या IN-UK21905165340794U दिनांक 02.12.2022 के द्वारा खसरा सं० 268 मौजा फतेहपुर टाण्डा पर ऋण लिया गया है जिसे शपथकर्ता द्वारा स्टोन क्रेशर की अनुमति प्रदान हो जाने के बाद रवन्ना जारी होने से पहले जमा कर दिया जायेगा।

(घ) :- प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा० न्यायालयों/मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी :- वर्तमान में प्रभावित नहीं हैं। अनुज्ञा समय-समय पर मा० न्यायालय/राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के आदेशों के अधीन रहेगी।

12. वन विभाग की आख्या :-

(क) प्रस्तावित प्लांट की सरकारी वन/आरक्षित वन से दूरी :- 550 मी० की अधिक दूरी पर।

(ख) प्रस्तावित प्लांट की नेशनल पार्क/संचुरी से दूरी :- -

(ग) प्रस्तावित प्लांट स्थल पर विद्यमान वृक्षों का प्रकार व संख्या :- प्रस्तावित स्थल वृक्ष विहीन क्षेत्र है।

(घ) प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा० न्यायालयों/मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेश से प्रभावित होने या ना होने के सम्बन्ध में टिप्पणी :- प्रस्तावित क्षेत्र भारत सरकार के नोटिफेशन संख्या S.O.923(E) दिनांक 06.10.1988 में दिये गये प्राविधानानुसार दून वैली के अन्तर्गत पडता है।

R

Qur

501

501

501

501

478. भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की आख्या :-

134

(क) :- नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 09 (क) के अनुसार प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का क्षेत्रफल (है० मे) :- वर्तमान में प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर,स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति-2021 में मैदानी क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल कुल 0.75 है० निर्धारित है। आवेदक के पक्ष में पूर्व में आवेदित स्थल पर कुल 1.9565 है० भूमि में स्क्रीनिंग प्लांट स्वीकृत/संचालित है। वर्तमान में आवेदक द्वारा स्वीकृत/संचालित स्क्रीनिंग प्लांट को स्टोन क्रेशर में अपग्रेड करने हेतु आवेदन किया गया है।

(ख) :-प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लांट परिसर में प्रस्तावित भण्डारण क्षमता (टन मे) :- आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार कुल 5,40,000 टन उपखनिज का भण्डारण किया जा सकता है।

(ग) :- नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 09 (घ) के अनुसार एक समय में भण्डारण क्षमता (टन में) :-आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित प्लांट की क्षमता 100 टन प्रतिघण्टा के अनुसार नीति के बिन्दु संख्या 09 (घ) के अनुसार प्लांट की वार्षिक भण्डारण क्षमता (100X10X360) कुल 3,60,000 टन आंगणित होती है।

(घ) :-नीति के अध्याय-I के बिन्दु संख्या 09 (ङ) के अनुसार प्लांट की वार्षिक क्रसिंग/स्क्रीनिंग क्षमता (टन में) :- आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार एक समय में कुल 5,40,000 टन उपखनिज का भण्डारण किया जा सकता है।

2 प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु कच्चे माल के स्रोत के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के सम्बन्ध में टिप्पणी :-प्लांट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा नोट्राईज्ड स्टाम्प पेपर संख्या IN-UK21752354590319U दिनांक 01.12.2022 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि "यह कि शपथकर्ता उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत खनिज पट्टा जैसे गढवाल मण्डल विकास निगम जाखन नदी लालतण्ड 13/2व गढवाल मंडल विकास निगम जाखन नदी रानीपोखरी 13/1 तथा वन विकास निगम जाखन नदी रानीपोखरी से कच्चे माल की आपूर्ति की जा रही तथा भविष्य में साँग नदी के खुलने पर वहाँ भी कच्चे माल की आपूर्ति की जायेगी ।"

3. (क) आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र में स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की आपत्ति के सम्बन्ध में विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है अथवा नहीं के सम्बन्ध में टिप्पणी :-आवेदक द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्र "राष्ट्रीय सहारा मे दिनांक 18.01.2023" को विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है।


(ख) आवेदक द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था द्वारा कार्यालय में आपत्ति प्राप्त हुई है अथवा नहीं, यदि आपत्ति प्राप्त हुयी है तो उस पर जन सुनवाई की गयी है अथवा नहीं,यदि की गयी है तो जन सुनवाई का दिनांक व लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में टिप्पणी :- पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्क्रीनिंग प्लांट को स्टोन क्रेशर में अपग्रेड किये जाने/स्थापना हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के उपरान्त व निरीक्षण दिनांक तक इस कार्यालय में किसी भी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

4. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित प्लांट डक स्थल के जी०पी०एस० कोर्डिनेट्स :- N 30° 08'44.21" तथा E 78° 08'10.59" है।

5. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के नाम पूर्व में खनन पट्टा/भण्डारणों मे अर्थदण्ड तो आरोपित नहीं है,यदि है तो पूर्ण विवरण :-कार्यालय अभिलेखानुसार आवेदक फर्म में भागीदारों के नाम वर्तमान में जनपद देहरादून में वर्तमान में न ही कोई खनन पट्टा/भण्डारण स्वीकृत है तथा न ही कोई अर्थदण्ड अधिरोपित है।

6. प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा० न्यायालयों/मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेश से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी :- वर्तमान में प्रभावित नहीं हैं। अनुज्ञा समय-समय पर मा० न्यायालय/राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के आदेशों के अधीन रहेगी।

7. प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध में टिप्पणी :- प्रस्तावित स्थल मौके पर समतल है तथा स्टोन क्रेशर प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु उपयुक्त प्रतीत होता है।



8. अन्य कोई अभिलेख/शर्त, यदि आवश्यक हो :-स्टोन क्रेशर की स्वीकृति/स्थापना के उपरान्त आवेदक द्वारा निम्न शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

1. आवेदक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, मा0 उच्चतम न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण तथा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख यदि गलत पाये जाते हैं तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा गलत अभिलेख पाये जाने की पुष्टि होने की दशा में प्लांट की अनुज्ञा निरस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
3. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1874/VII-I/2021/158 ख-04 टीसी दिनांक 10 नवम्बर, 2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जाना होगा।
4. आवेदक द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पत्थराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 08(1) के अनुसार उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लांट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
5. स्टोन क्रेशर नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 12 के प्राविधानानुसार 100 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु मैदानी क्षेत्र हेतु आवेदन/अनुज्ञा शुल्क की धनराशि ₹ 20.00 लाख निर्धारित है। वर्तमान में आवेदक द्वारा स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु आवेदन शुल्क के रूप में स्टोन क्रेशर नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 04 के प्राविधानानुसार आवेदन शुल्क ₹ 10,000/- की धनराशि ई-चालान संख्या 08531222E0005157 दिनांक 03.12.2022 के माध्यम निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा की गयी है तथा आवेदक द्वारा अवशेष अनुज्ञा शुल्क ₹ 20.00 लाख को धनराशि को स्टोन क्रेशर प्लांट की स्वीकृति के उपरान्त/ई-रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

14. पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आख्या:-

क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक सं0 यू.के.पी.सी. बी/आरओडी/स्टोन क्रेशर/2023-24/1245-576 दिनांक 05.07.2023 के द्वारा प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण आख्या का विवरण निम्नवत है:-

1	Name of Stone Crusher/Screening plant	M/S Balaji Associates Partner shree HArkamal singh ect. Stone crusher Khasra no.237 to 241/1, 241/2, 268,269, 279/2 Village Fathepurtanda Doiwala Dehradun Uttarakhand.
2	Date of License	Unit has obtained license form Uttarakhand govt. vide tetter no 2453 dated 07.10.2021 for the operation of screening plant.
3	Period of License	To be Obtained.
4	Site Details	Khasra no.237 to 241/1, 241/2, 268,269, 279/2 Village Fathepurtanda Doiwala Dehradun Uttarakhand.
5	Area (Ha)	1.9565 ha
6	Location/GPS Reading	30.14563 E 78.13618N
7	Land status (Revenue/private/Forest/Govt. Land)	Private
8	Distance form following (As per Clause 7 of Stone Crusher policy 2021)	
	A. River Ganges (In Haridwar District):	Not Applicable
	B. Other river (Perennial):	As per google earth at the time of the inspection, River (Stone) is found at a distance of 497 meter form the

2
24
25

[Handwritten signatures and marks]

		dak proposed by the unit. (As pr revenue report distance of river song is more then 500 meters.
	C. River (Non perennial):	As per google earth at the time of the inspection, Non perennial river is found at the distance of 500 meter form the proposed unit.
	D. Government Forest:	Forest not found in the vicinity of 500 meters.
	E. Public Worship place:	At the time of inspection, no public Worship Place was found within 500 meter form the row material feeder proposed by the unit.
	F. Educational Institute/Hospital Nursing Home.	At the time of inspection, no Educational Institute/Hospital Nursing Home was found within 380 meter form the row material feeder proposed by the unit.
	G. Settlement:	At the time of inspection Settlement was found within 310 meter form the row material feeder proposed by the unit.
9	Industry/Unit Category (red/ Orange/ Green)	"Orange"
10	Industry/Unit Capacity (MT/Day)	100MT/ Hour
11	Total Operational Period in a week	Unit is in the process of obtaining approvals and to be operated after obtaining requisite approvals
12	Machinery and Equipment engaged	To be installed after obtaining requisite approvals.
13	Source of Electricity and load Capacity	Connection to be obtained
14	Total Manpower/Labor Engaged	To be engaged after necessary approvals for establishment.
15	Solid/plastic waste generated per day	No detail available, as the plant is proposed
16	Water usage/Day and Source	No detail available, as the plant is proposed
17	Whether permission of CGWA	To be obtained
18	Whether Environment Clearance granted (if yes then date)	At the time of inspection Screening plant was in operational as same site and unit has obtained EC Form SEIAA on dated 11.11.2021 for the operation of Screening plant.
19	Six monthly EC Compliance Submitted (yes/no)	-
20	Date of CTO granted	23.05.2022 for the oprations of screening plant 100 TPH
21	Validity date of CTO	31.03.2027 for the oprations of screening plant 100 TPH
22	Details of fine imposed by mining/revenue authorities if any	No
23	Details of EC imposed if any	No
24	Any other site specific details	No
25	Inspection Note/Observations	All existing and new Stone Crusher Unit are required to comply with the prescribed pollution control measures under Environment (Protection) Act 1986. The details are as under. 1. Dust containment cum suppression system for the equipment.

R

D

S


D

H

2. Construction of wind breaking walls.
3. Construction of the metaled roads within the premises
4. Regular cleaning and wetting of the ground with in the premises.
5. Growing of a green belt along the periphery.
6. The suspended particulate matter measured between 3 meters and 10 meters form any process equipment of a Stone crusher unit shall not exceed 600 micrograms per cubic meter.
7. Proposed location found adequate as pr norms of stone crusher policy, 2021.


उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि प्रस्तावित स्टोन क्रेशर हेतु आवेदित स्थल दून वैली नोटिफिकेशन दिनांक 01 फरवरी, 1989 द्वारा अधिसूचित दून वैली क्षेत्रान्तर्गत स्थित है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या E-29012/ESS(CPA)/2015-16 दिनांक 07 मार्च, 2016 द्वारा निर्देशित उद्योगों के श्रेणीवार विभाजन में स्टोन क्रेशरों को नारंगी श्रेणी में (Pollution index-50 में अंकित होने के कारण) अंकित किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.01.2020 द्वारा लाल, नारंगी, हरित तथा सफेद श्रेणी के उद्योगों के वर्गीकरण को दून घाटी अधिसूचना में प्रतिस्थापित कर दिये जाने के फलस्वरूप दून घाटी में राज्य स्तर पर गठित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने पर नारंगी श्रेणी के उद्योगों, जिसमें स्टोन क्रेशर भी सम्मिलित है, की स्थापना की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रावधान है, परन्तु आवेदक द्वारा आवेदित स्थल के खसरा संख्या 240, 241/2, 269, 279/2 में राज्य स्तर पर्यावरण समाधारित निर्धारण प्राधिकरण उत्तराखण्ड के पत्रांक संख्या E.C.No-298-09(06)/2021 दिनांक 11 नवम्बर, 2021 द्वारा पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त की गयी है।


स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति :- उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1875/VII-A-1/2021-03(101)/2021 दिनांक 11 नवम्बर, 2021 द्वारा प्रस्थापित उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति-2021 के प्राविधानानुसार आवेदक मैसर्स बालाजी एसोसिएट्स पार्टनर श्री हरकमल सिंह, श्री दलीप कुमार, श्री प्रकाश सिंह, श्री कुलदीप सिंह, श्री मोहित बुटोला आदि निवासी फतेहपुर टाण्डा, डोईवाला देहरादून को तहसील डोईवाला के ग्राम फतेहपुर टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 237, 238, 240, 241/1, 241/2, 268, 269, 279/2 कुल क्षेत्रफल 1.9565 है० भूमि में 100 टन प्रति घंटा क्षमता के पूर्व से स्वीकृत स्क्रीनिंग प्लांट को स्टोन क्रेशर में परिवर्तित किये जाने एवं प्लांट परिसर में कुल 5,40,000 टन उपखनिज भण्डारण क्षमता की अनुज्ञा हेतु आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधारित निर्धारण प्राधिकरण उत्तराखण्ड के पत्रांक संख्या E.C.No-298-09(06)/2021 दिनांक 11 नवम्बर, 2021 द्वारा पर्यावरणीय अनुमति प्राप्त किये जाने एवं आवेदित स्थल नीति में निर्धारित मानकों के अनुरूप उचित दूरी पर स्थित होने के दृष्टिगत गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्णयार्थ सादर प्रेषित है।



क्षेत्रीय राजस्व उपनिरीक्षक
तहसील डोईवाला।


खनिज मोहरिर
तहसील डोईवाला।


तहसीलदार
डोईवाला।


प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिनिधि
वन विभाग।


क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून।


प्रभारी जिला खान अधिकारी
खान निरीक्षक
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
देहरादून।


उपजिलाधिकारी
डोईवाला।



कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

E-Mail ID-dehradundm@gmail.com

PHONE-0135-2622389 FAX-2720025

पत्र संख्या 25 / खनिज-अनु0 / 2023

दिनांक 16 फरवरी, 2023

सेवा में,

- 1- उपजिलाधिकारी डोईवाला।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग, देहरादून।
- 3- महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय जिला देहरादून द्वारा नामित प्राधिकारी जिला खान अधिकारी, देहरादून।

विषय:-

आवेदक मैसर्स बालाजी एसोसिएट्स पार्टनर श्री हरकमल सिंह, श्री दलीप कुमार, श्री प्रकाश सिंह, श्री कुलदीप सिंह, श्री धीरज सिंह निवासी फतेहपुर टाण्डा डोईवाला देहरादून के द्वारा तहसील डोईवाला के ग्राम फतेहपुर टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 237, 238, 240, 241/1, 241/2, 268, 269, 279/2 कुल क्षेत्रफल 1.9565 है0 भूमि पर उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अन्तर्गत 100 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन केशर एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण क्षमता कुल 10,80,000 टन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2023 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1875/सात-1/2021/158ख-04 टी0सी0 दिनांक 11 नवम्बर, 2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 03(i) के प्राविधानानुसार स्टोन केशर स्थापना एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु जनपद स्तर पर निम्नानुसार समिति गठित की गयी है:-

- | | | |
|----|--|------------|
| 1- | उपजिलाधिकारी डोईवाला | अध्यक्ष |
| 2- | प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग देहरादून | सदस्य |
| 3- | महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई | सदस्य सचिव |
| | उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड जिला देहरादून | |
| | द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिला खान अधिकारी देहरादून। | |

अतः प्रभारी जिला खान अधिकारी/सर्वेक्षक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय के पत्र संख्या 705/स्टोन केशर/भू0खनि0ई0-जि0कार्या0देदून/2021-22 दिनांक 19 जनवरी, 2023 के द्वारा आवेदक मैसर्स बालाजी एसोसिएट्स पार्टनर श्री हरकमल सिंह, श्री दलीप कुमार, श्री प्रकाश सिंह, श्री कुलदीप सिंह, श्री धीरज सिंह निवासी फतेहपुर टाण्डा डोईवाला देहरादून के द्वारा तहसील डोईवाला के ग्राम फतेहपुर टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 237, 238, 240, 241/1, 241/2, 268, 269, 279/2 कुल क्षेत्रफल 1.9565 है0 भूमि पर उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अन्तर्गत 100 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन केशर एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण क्षमता कुल 10,80,000 टन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2023 पर समिति स्थलीय निरीक्षण पर संयुक्त जांच आख्या एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(कृष्ण कुमार मिश्रा)
अपर जिलाधिकारी (वि0रा0),
देहरादून।

प्रभारी जिला खान अधिकारी/सर्वेक्षक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
जिला कार्यालय देहरादून।

124

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

संख्या: 705 /स्टोन क्रेशर /भूखनि0ई0-जि0कार्या0देदून /2021-22,

दिनांक 19 जनवरी 2023

विषय:

आवेदक मैसर्स बालाजी एसोसिएट्स पार्टनर श्री हरकमल सिंह, श्री दलीप कुमार, श्री प्रकाश सिंह, श्री कुलदीप सिंह, श्री धीरज सिंह निवासी फतेहपुर टाण्डा, डोईवाला देहरादून के द्वारा तहसील डोईवाला के ग्राम फतेहपुर टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 237, 238, 240,241/1, 241/2, 268, 269, 279/2 कुल क्षेत्रफल 1.9565 है0 भूमि पर उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अन्तर्गत 100 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन क्रेशर एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण क्षमता कुल 10,80,000 टन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 16.01.2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1875/VII-A-1/2021-03(101)/2021 दिनांक 11 नवम्बर, 2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अन्तर्गत आवेदक मैसर्स बालाजी एसोसिएट्स पार्टनर श्री हरकमल सिंह, श्री दलीप कुमार, श्री प्रकाश सिंह, श्री कुलदीप सिंह, श्री धीरज सिंह निवासी फतेहपुर टाण्डा, डोईवाला देहरादून के द्वारा तहसील डोईवाला के ग्राम फतेहपुर टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं0 237, 238, 240,241/1, 241/2, 268, 269, 279/2 कुल क्षेत्रफल 1.9565 है0 भूमि पर उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2020 के अन्तर्गत 100 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन क्रेशर एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण क्षमता कुल 10,80,000 टन की अनुज्ञापति हेतु उक्त नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 03(I) के प्राविधानानुसार स्टोन क्रेशर की स्थापना एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-01 में छः प्रतियों में प्रस्तुत किया गया है। उक्त नीति के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 04 के प्राविधानानुसार स्टोन क्रेशर की स्थापना हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क के रूप में रू0 10,000.00/-की धनराशि ई-चालान संख्या 08531222E0005157 दिनांक 03.12.2022 के माध्यम से निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराते हुए आवेदन पत्र कतिपय अभिलेखों सहित इस कार्यालय में दिनांक 16.01.2023 को प्रस्तुत किया है।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 877/VII-I/20-स्टोन क्रेशर/2015 दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा मै0 बालाजी एसोसिएट्स निवासी फतेहपुर टाण्डा के पक्ष में तहसील डोईवाला के ग्राम फतेहपुर टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 237, 240,241/1, 241/2, 268, 269, 279/2 कुल क्षेत्रफल 1.9565 है0 अर्थात् 4.83 एकड़ भूमि में 300 टन प्रतिघण्टा क्षमता का स्क्रीनिंग प्लान्ट 05 वर्ष की अवधि हेतु कतिपय शर्तों के अधीन स्वीकृत किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 28.05.2020 को समाप्त हो चुकी थी, पुनः निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या 2453 दिनांक 07.01.2021 के द्वारा दिनांक 29 जून, 2020 से अगामी 10 वर्ष की अवधि हेतु 100 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्क्रीनिंग प्लान्ट का नवीनीकरण कतिपय शर्तों के अधीन किया गया है, जो वर्तमान में संचालित है। संयंत्र स्वामी द्वारा इस कार्यालय प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2023 प्रस्तुत करते हुए स्वीकृत स्क्रीनिंग प्लान्ट को अपग्रेड कर स्टोन क्रेशर की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1875/VII-A-1/2021-03(101)/2021 दिनांक 11 नवम्बर, 2021 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के बिन्दु संख्या 03(I) के प्राविधानानुसार "स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-01 में उल्लिखित प्रपत्र पर वर्णित अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क सहित छः


प्रतियों में जिला स्तरीय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण करने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।”

उक्त के क्रम में आवेदक द्वारा इस कार्यालय में आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र अनुसूची-02 में छः प्रतियों में प्रस्तुत किया गया है। संलग्न अभिलेखों में से आवेदक द्वारा भूस्वामी न होने पर सम्बन्धित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ विधिवत पंजीकृत पट्टा विलेख के स्थान पर रू० 100 के नोट्राईज्ड स्टाम्प पेपर श्री जयदीप दत्त पुत्र श्री ओ०डी, श्री सुनीत पाल अग्रवाल पुत्र श्री धर्मपाल अग्रवाल, श्री पंकज अग्रवाल पुत्र श्री श्याम, श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व० श्री अर्जुन सिंह एवं श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह एवं श्रीमती निर्मल कौर पत्नी श्री बलवीर सिंह एवं श्री हरकमल सिंह पुत्र श्री बलवीर सिंह आदि के साथ किरायानाम नोट्राईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्टमोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 06 के प्राविधानानुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल के चयन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गया है:-

1. सम्बन्धित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी :- अध्यक्ष
 2. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो सहायक वन संरक्ष से अन्यून स्तर का न हो :- सदस्य
- महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी :- सदस्य सचिव

अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 16.01.2023 को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक मैसर्स बालाजी एसोसिएट्स पार्टनर श्री हरकमल सिंह, श्री दलीप कुमार, श्री प्रकाश सिंह, श्री कुलदीप सिंह, श्री धीरज सिंह निवासी फतेहपुर टाण्डा, डोईवाला देहरादून के पक्ष में तहसील डोईवाला के ग्राम फतेहपुर टाण्डा क्षेत्रान्तर्गत खसरा सं० 237, 238, 240, 241/1, 241/2, 268, 269, 279/2 कुल क्षेत्रफल 1.9565 है० भूमि में स्वीकृत/संचालित स्क्रीनिंग प्लान्ट को वर्तमान में स्टोन क्रेशर में परिवर्तित किये जाने हेतु कृपया उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अन्तर्गत 100 टन प्रतिघण्टा क्षमता के स्टोन क्रेशर एवं प्लान्ट परिसर में उपखनिज भण्डारण क्षमता कुल 10,80,000 टन की अनुज्ञप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र मय संलग्नको सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति-2021 के अध्याय-1 के बिन्दु संख्या 06 के प्राविधानानुसार गठित समिति के सदस्यों को आवेदित स्थल की स्थलीय निरीक्षण हेतु निर्देशित करने का कष्ट करे। संलग्नक : आवेदन पत्र मय संलग्न पाँच प्रतियों में।

भवदीय

 (प्रश्वर्य शाह)

प्रभारी जिला खान अधिकारी/सर्वेक्षक
 देहरादून।

संख्या 705/स्टोन क्रेशर /भूखनि०ई०-जि०कार्या०देदून /2021-22, तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निदेशक महोदय भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड भोपालपानी देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी जिला खान अधिकारी/सर्वेक्षक
 देहरादून।



स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप
अनुसूची-1

(06 प्रतियों में)

सेवा में,

जिता खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला देहरादून

आवेदन प्राप्ति का दिनांक 16.01.2023

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन केशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन नये स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय।

- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नाम- मैसर्स बाला जी एक्सोसि, एट्स
- स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम)- हरकमल सिंह,
पता- फतेहपुर टाटा, डेहरादून,
मोबाईल नं०- 9897182934
ई-मेल आईडी- dalip.kumar1982@yahoo.com
दलीप कुमार, प्रकाश सिंह
कुलदीप सिंह, धीरज सिंह
-चौधन
- आवेदित स्थल का विवरण -
जिला- देहरादून
तहसील- डेहरादून
ग्राम- फतेहपुर गढ़ा
खसरा संख्या- 237, 238, 240, 241/1, 241/2, 268, 269, 279/2
क्षेत्रफल- 1.9565 हे०
- प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) 100 टन प्रति घंटा
- अधिकृत परामर्शदाता/आर्किटेक्ट द्वारा आवेदित स्थल (जिसमें नीति में निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि का क्षेत्रफल मानचित्र पर प्रदर्शित हो) की प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।
- प्लांट परिसर में प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में) 1080000 टन
- अनुज्ञा शुल्क का विवरण :- चालान सं० CPACGREFV6 धनराशि 10000 दिनांक 03/12/2022
- अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है 10 वर्ष
- यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता भारतीय

- 10- फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता भारतीय ।
- 11-आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति संलग्न है ।
- 12-यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के विधिवत रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न है ।
- 13-आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।
- 14- आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है ।
- 15- आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का विधिवत पंजीकृत पट्टा विलेख प्लान्ट की प्रति संलग्न है ।
- 16- स्थानीय समाचार पत्र में प्रभावित व्यक्तियों की अनापत्ति के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति संलग्न है ।
- 17- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।
- 18- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है ।
- 19- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रति संलग्न है ।
- 20 -आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।
- 21- आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर की प्रति संलग्न है ।
- 22- प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न है ।
- 23- प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा, जो कि निरन्तर संचालित रहेंगे, लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र संलग्न है ।

मैं/हम एतद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक 16.01.2023



आवेदक का हस्ताक्षर।